



आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

प्रलिस के लयल:

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान आरोग्य मंदरल, सामाजकल-आरथकल जातल जनगणना (SECC), राष्ट्रीय स्वास्थय प्ररधकरण (NHA) ।

मेन्स के लयल:

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ।

[स्रोत: द हदु](#)

चरुा में क्युँ?

हाल ही में स्वास्थय एवं परवलर कल्याण मंत्रालय ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के संबंघ में कुछ आँकड़े जारी कयल हैं ।

AB PM-JAY सांख्यकल कल मुख्य वशषताएँ क्यल हैं?

- आयुष्मान कार्ड:
 - बनाए गए कुल आयुष्मान कार्डों में से लगभग 49% महिलाएँ हैं और कुल अघकृत अस्पतालों में लगभग 48% प्रवेश हैं ।
 - योजना कल शुरुआत से दसंबर 2023 तक लगभग 28.45 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, जनलमें से लगभग 9.38 करोड़ आयुष्मान कार्ड वर्ष 2023 के दौरान बनाए गए हैं ।
- स्वास्थय कवरेज:
 - इस योजना के तहत 12 करोड़ परवलरों के 55 करोड़ वयक्तयल को शामिल कयल गया है तथा AB PM-JAY को लागू करने वाले कई राजयुँ एवं केंद्र शासतल प्रदेशुँ ने अपनी लागत पर लाभार्थी आधार का और वसतार कयल है ।
- अस्पताल में दाखलल:
 - इस योजना के तहत अस्पतालों में 78,188 करोड़ रुपए कल राशकल कुल 6.11 करोड़ दाखलल अघकृत कयल गए थे, जनलमें से 25,000 करोड़ रुपए से अघकल मूल्य के कुल 1.7 करोड़ दाखलल वर्ष 2023 (जनवरी-दसंबर 2023) के दौरान अघकृत कयल गए ।

आयुष्मान भारत-PMJAY क्यल है?

- परचय:
 - PM-JAY पूरी तरह से सरकार द्वारा वतलतपोषतल वशषव कल सबसे बड़ी स्वास्थय बीमा योजना है ।
 - इसे 2018 में लुँच कयल गया, यह माध्यमकल देखभाल और तृतीयक देखभाल के लयल प्रतल परवलर 5 लाख रुपए कल बीमा राशल प्रदान करतल है ।
 - स्वास्थय लाभ पैकेज में सर्जरी, चकलतलसा और डे केयर उपचार, दवाओं व नदलन कल लागत शामिल है ।
- लाभार्थी:
 - यह एक पात्रता आधारतल योजना है जो नवलनतम सामाजकल-आरथकल जातल जनगणना (SECC) डेटा द्वारा पहचाने गए लाभार्थयुँ को लकषतल करतल है ।
 - राष्ट्रीय स्वास्थय प्ररधकरण (NHA) ने राजयुँ/केंद्रशासतल प्रदेशुँ को शेष (अप्रमाणतल) SECC परवलरुँ कल पहचान करने के लयल समान सामाजकल-आरथकल प्रुफाइल वाले गैर-सामाजकल-आरथकल जातल जनगणना (SECC) लाभार्थी परवलर डेटाबेस का उपयोग करने हेतु लचीलापन प्रदान कयल है ।
- वतलतयन:
 - इस योजना का वतलतपोषण संयुक्त रूप से कयल जाता है, सभी राजयुँ और केंद्रशासतल प्रदेशुँ के मामले में केंद्र एवं वधलयकल के बीच 60:40, पूर्वोत्तर राजयुँ तथा जम्मू-कशमीर, हमाचल व उत्तराखंड के लयल 90:10 और वधलयकल के बना केंद्रशासतल प्रदेशुँ हेतु

100% केंद्रीय वित्तपोषण।

■ केंद्रीय अभिकरण:

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health Authority- NHA)** को राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से PMJAY के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में गठित किया गया है।
- राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) राज्य में ABPMJAY के कार्यान्वयन के लिये ज़िम्मेदार राज्य सरकार का शीर्ष निकाय है।

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/ayushman-bharat-pradhan-mantri-jan-arogya-yojana-2>

